राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक- न्याय/2018/ 1291

दिनांक: 20.12.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला/18/38615–16 दिनांक 29.11..2018 से पुलिस थाना मण्डावर के अभियोग सं0 110/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त 1– बाबूलाल पुत्र पप्पूलाल जाति गुर्जर निवासी पीपल्या सरहद थाना मण्डावर जिला झालावाड 2– राहुल अग्रवाल उर्फ बाणिया पुत्र रूपचंद जाति महाजन अग्रवाल निवासी जवाहर कालोनी हाल किराये का मकान मदारी खां तालाब झालावाड थाना कोतवाली झालावाड 3 जतीन नागर उर्फ जत्तू पुत्र उमाशंकर नागर जाति खटीक निवासी केवलनगर थाना अंनतपुरा कोटा शहर के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.10.18 को फरियादी श्री मेवाराम पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासी रामडी थाना मण्डावर ने एसआरजीएच झालावाड मे इस आशय का पर्चा बयान किया कि मै रामडी का रहने वाला हूं। आज मै व मांगी लाल गुर्जर चारियाखेडी का दोनो मेरी मोटरसायकल की सर्विस कराकर झालावाड से रामडी जा रहे थे कि भंवरिया गांव के पास की पुलिया पर तीन व्यक्ति पल्सर मोटरसाईकिल पर पीछे से आये और मोटरसायकल के लात मारी जिससे बाडी का बेंलेस बिगड गया। पल्सर गाडी पर बैठे पीछे वाले दोनो व्यक्तियो ने अपने पास से पिस्तोल/ देशी कटटा निकला कर फायर किया, जिससे मेरे दाहिने कन्धे पर लगी। मै मेरी मोटरसायकल को बागर मे घुसा जान बचाकर भागा। रामडी के रामलाल गुर्जर व उसका लडका जगदीश भी मेरे पीछे बदूंक लेकर दोडे। तीनो व्यक्तियो मे से एक व्यक्ति रामयाद था, दो व्यक्ति 20–22 साल के थे, जिनको सामने आने पर पहचान कर सकता हूं इत्यादि पर प्रकरण सं0 110/18 धारा 147, 148, 149, 307, 120 बी व 3/25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया।

दौराने अनुसन्धान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्व किये गये। अनसुंधान से अभियुक्त 1– बाबूलाल पुत्र पप्पूलाल जाति गुर्जर निवासी पीपल्या सरहद थाना मण्डावर जिला झालावाड 2– राहुल अग्रवाल उर्फ बाणिया पुत्र रूपचंद जाति महाजन अग्रवाल निवासी जवाहर कालोनी हाल किराये का मकान मदारी खां तालाब झालावाड थाना कोतवाली झालावाड 3 जतीन नागर उर्फ जत्तू पुत्र उमाशंकर नागर जाति खटीक निवासी केवलनगर थाना अंनतपुरा कोटा शहर 4 रामयाद पुत्र बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी रामडी थाना मण्डावर जिला झालावाड 5 अनिल पुत्र रामकल्याण जाति गुर्जर उम्र 20 साल विासी मालोनी थाना सारोला जिला झालावाड 5 विक्रम सिंह उर्फ विक्की पुत्र छोटा सिंह निवासी केशोरी के विरूद्व के विरूद्व धारा 147, 148, 149, 307, 120 बी व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया । 1– बाबूलाल पुत्र पप्पूलाल जाति गुर्जर निवासी पीपल्या सरहद थाना मण्डावर जिला झालावाड से एक अवैध देशी कटटा 12 बोर 2– राहुल अग्रवाल उर्फ बाणिया पुत्र रूपचंद जाति महाजन अग्रवाल निवासी जवाहर कालोनी हाल किराये का मकान मदारी खां तालाब झालावाड थाना कोतवाली झालावाड से एक देशी पिस्टल 7.65 एमएम व 3 जिंदा कारतूस 7.65 एमएम 3 जतीन नागर उर्फ जत्तू पुत्र उमाशंकर नागर जाति खटीक निवासी केवलनगर थाना अंनतपुरा कोटा शहर से एक देशी पिस्टल 7.65 एमएमए व 5 जिंदा कारतूस 7.65 एमएम जप्त किये। उक्त जप्तशुदा सभी आर्म्स एंव एम्युनेशन का आर्मोरर पुलिस लाईन द्वारा मेकेनिकल मुआयना करवाये जाने पर उन्होने अपनी रिपोर्ट मे बताया कि 2 देशी पिस्टल 7.65 एमएम के है एंव एक देशी कटटा 12 बोर का है एंव 8 कारतूस 7.65 एमएम के है, जो फायर करने योग्य तथा फायर आर्म्स की जद मे आते है तथा 8 कारतूस एम्युनेशन की परिभाषा मे आता है। अभियुक्तो के पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मुरलीधर एसएचओ व आरमोरर पुलिस लाईन श्री यशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड 2देशी पिस्टल 7.65 एमएम एंव एक देशी कटटा 12 बोर एंव 8 कारतूस को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त 1– बाबूलाल पुत्र पप्पूलाल जाति गुर्जर निवासी पीपल्या सरहद थाना मण्डावर जिला झालावाड 2– राहुल अग्रवाल उर्फ बाणिया पुत्र रूपचंद जाति महाजन अग्रवाल निवासी जवाहर कालोनी हाल किराये का मकान मदारी खां तालाब झालावाड थाना कोतवाली झालावाड 3 जतीन नागर उर्फ जत्तू पुत्र उमाशंकर नागर जाति खटीक निवासी केवलनगर थाना अंनतपुरा कोटा शहर के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती